न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—76 / 2023 / 223 आर.टी.एक्ट (2023 / 76)

1. बलवीरसिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम सोलखुर्द, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र अभेयसिंह जाति राजपूत निवासी धान्धों का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय अजमेर राजस्व वाद संख्या 133 / 2022

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—08.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 / वादी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183, 188, 209 बाबत बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दिनांक 10.11.2022 को दर्ज कर अपीलांट / प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर वास्ते जवाब हेतु समय चाहा एवं इसके पश्चात दिनांक 09.12.2022 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा तहसीलदार भिनाय से मौका रिपोर्ट तलब करने पेशी दिनांक 30.12.2022 नियत की गई व दिनांक 13.01.2023 को तहसीलदार भिनाय से रिपोर्ट प्राप्त होना वर्णित करते हुए पत्रावली में निर्णय दिनांक 25.01.2023 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि आराजीयात खसरा संख्या 181 रकबा 1.13 है0 वाकै ग्राम सोलखुर्द अपीलांट की खातेदारी की आराजी रही है व उपरोक्त आराजीयात को हडपने व उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की नियति से आराजी खसरा संख्या 185 को स्वयं की खातेदारी की आराजी होना वर्णित करने हुए वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष अंतर्गत धारा 188 का प्रस्तुत किया गया व उपरोक्त राजस्व वाद में वाद के विचाराधीन रहते कब्जा किए जाने की स्थिति में बेदखली हेतु अनुतोष चाहा गया है उपरोक्त प्रस्तुत वाद को अंतर्गत धारा 183 प्रार्थना पत्र होना अंकन करते हुए आक्षेपित निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा सुपुर्द किए जाने के आदेश पारित किए गए है। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा संख्या 185 रकबा 1 है0 स्वयं की खातेदारी की आराजीयात होना वर्णित करते हुए तथा जिससे अपीलांट/प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं होने से उपरोक्त आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू है, वर्णित कर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया है एवं वाद पत्र में दौराने वाद अपीलांट उक्त आराजी पर जबरन बेदखल कर देते हुए तो कब्जा पुनः वादी को संभलाया जावे वर्णित किया है। उपरोक्त वाद पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय उपरोक्त प्रस्तुत वाद दिनांक 10.11.2022 को दर्ज कर अपीलांट/प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर वास्ते जवाब हेतु समय चाहा एवं इसके पश्चात दिनांक 09.12.2022 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा तहसीलदार भिनाय से मौका रिपोर्ट तलब करने पेशी दिनांक 30.12.2022 नियत की गई व दिनांक 13.1.2023 को तहसीलदार भिनाय से रिपोर्ट प्राप्त होना वर्णित करते हुए पत्रावली में निर्णय दिनांक 25.01.2023 पारित कर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 धारा 188 व 209 पर कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन किया, अंकन करते हुए अपीलांट/प्रतिवादी का जवाब बंद कर उक्त दिनांक को ही वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस सुनी जाकर कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर निर्णय से धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष होने योग्य से वाद पत्र स्वीकार कर पुलिस इमदाद से कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है। जबकि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा से स्वयं का कब्जा होना वर्णित किया है। अपीलांट द्वारा किस दिनांक को वादी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा किया, कहीं भी अंकन नहीं किया जाकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जवाब हेतु अवसर बंद कर एकमात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र को डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष अपीलांट द्वारा स्वयं की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 181 रकबा 1.13 है0 पर जबरन दखलंदाजी किए जाने व कब्जा किए जाने पर अपीलांट द्वारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट दिनांक 11.11.2022 को प्रस्तुत किया गया व उपरोक्त प्रस्तुत वाद में दिनांक 09.12.2022 को रेस्पोडेंट द्वारा उपस्थित होने के दौरान भी जवाबदेही नहीं कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष मिथ्या कथन अंकित करते हुए स्वयं के द्वारा प्रस्तुत वाद में 188 व 209 के तहत अनुतोष नहीं चाहते है, वर्णित किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, भिनाय द्वारा उक्त दिनांक 25. 01.2023 को अंकन के आधार पर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व वाद में निर्णय पारित कर अपीलांट को उसकी खातेदारी की

आराजीयात खसरा संख्या 181 से बेदखल किए जाने के आदेश पारित कर कब्जा रेस्पोडेंट/वादी को सुपुर्द किए जाने के आदेश दिए गए है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधिकाधिक दिनांक 25.01.2023 को जवाब बंद कर वादी साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत की जाकर वादी की साक्ष्य लेकर प्रदर्श दस्तावेज अंकन कर निर्णय पारित किया जा सकता है। किंतु उक्त दिनांक 25.01.2023 को ही अपीलांट का जवाब बंद कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है, अंकित किया है एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करना न्याय संगत है, वर्णित करते हुए एकपक्षीय प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया अंकित कर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है, वर्णित करते हुए निर्णय कब्जा रेस्पोडेंट को सुपुर्द किए जाने के आदेश पारित किए गए है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 185 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा अपीलांट द्वारा किया हुआ है, अंकन करते हुए कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया उक्त बाबत निर्णय में वर्णित किया है, किंतु प्रस्तुत वाद में एकमात्र स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहकर दौराने वाद कब्जा किए जाने की स्थिति में कब्जा दिलाए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है व साथ ही पश्चिम भुजा की ओर 89 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है जिस हेतु मियाद का निर्धारण किए बिना मद संख्या 8 में बेदखल करने की धमकी दिया जाना वर्णित करते हुए विरोधाभासी कथन अंकित किए गए है, उक्त संदर्भ में बिना पत्रावली पर साक्ष्य प्रस्तुती की अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 181 को हडपने की नियति से प्रस्तुत राजस्व वाद को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र होना वर्णित करते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा निर्णय कर अपीलांट को बेदखल किए जाने के आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकियात कायम किए बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में निर्णय मौका रिपोर्ट जो कि किसी भी रूप में वाद के निर्णय हेतु आधार नहीं हो सकती है, के अनुसार पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना साक्ष्य लिए रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जिसकी अनुपालना में अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 181 पर जबरन कब्जा किए जाने की कार्यवाही की जा रही है व अपीलांट की खडी फसल को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि मौजा सोलखुर्द पटवार हल्का सोलखुर्द भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 18 में दर्ज खसरा नम्बर 185 रकबा 1.00 है0 किस्म बारानी–2 भूमि को लेकर प्रार्थी ने प्रकरण अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात होने के आधार पर अनाधिकृत कब्जाधारी अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थी को खातेदारी भूमि का कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि प्रश्नगत

आराजीयात प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने जबरन प्रार्थी की भूमि को नाजायज हथियाने की बदनियति से लाठी के जोर पर अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजीयात का सीमाज्ञान भी करवाया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 तहसील कार्यालय भिनाय द्वारा किए गए सीमाज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है एवं प्राथी को जबरन हथियाना चाह रहा है। जिस कारण प्रार्थी को न्यायालय की शरण लिया जाना लाजमी आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 25.01.2023 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 185 रकबा 1.0000 के खातेदार/काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने वादपत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वर्णित आराजीयात के जानिब पश्चिमी भुजा की ओर लगभग 8–9 बिस्वा भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर अपीलांट/प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि ना ही कोई निर्माण करे, ना ही आराजीयात को किसी प्रकार से रहन, मुंतकिल करे इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी को समुचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी अपने समर्थन में कोई जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी का जवाब हक बंद करते हुए पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई।

पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 13.01.2023 की रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित है कि " ग्राम सोलखुर्द का खसरा नम्बर 185 रकबा 1.00है0 किस्म बारानी–2 हाल राजस्व रिकार्ड में किशनसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत सा0 धान्धों का खेडा के नाम रिकार्ड दर्ज है। न्यायालय प्रकरण कि रिपोर्ट के लिए मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त की जानकारी करने पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि खसरा नम्बर 185 रकबा 1.000है0 पर आज दिनांक को बलवीर सिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपूत का कब्जा काश्त है। " इससे स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से विद्यमान है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन उनके वादपत्र अनुरूप सही साबित होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों व मौका रिपोर्ट का भली भांति अवलोकन कर उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलांट/प्रतिवादी को धारा 183 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की भावना के विपरीत मानते हुए तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया कि ग्राम सोलखुर्द स्थित खसरा

नम्बर 185 रकबा 1.00है0 भूमि का प्रार्थी/रेस्पोडेंट को मौके पर मय जरूरत हो तो पुलिस इमदाद कब्जा सुपुर्द कर पालना से 15 दिवस में न्यायालय को अवगत करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बाबत भी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2023 व दिनांक 23.03.2023 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, पटवारी हल्का व पुलिस जाप्ता पुलिस थाना भिनाय के साथ ग्राम सोलखुर्द के खसरा नम्बर 185 के हिस्से पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के लिए मौके पर पहुंचे व अतिक्रमण को हटवाकर डोल डलवाई गई। अपीलांट का भूमि पर अविधिक रूप से कब्जा रहा था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से बेदखल कर निर्णय पारित किया गया क्यों कि एक खातेदार/काश्तकार को स्वयं की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात पर काश्त करने का विधिक अधिकार है तथा **आरआरडी 1984 पेज 529** में भी इस संबंध में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि *" जहां एक बार वादी द्वारा अपना हक साबित कर दिया जाता है एवं प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहता है कि उसने विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा किस आधार पर किया वहां प्रतिवादी अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।* ***आरआरडी 1988 पेज 214*** *में भी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब कोई व्यक्ति विवादित भूमि पर यह नहीं दिखा पाता है कि वह उस पर किस हैसियत से काबिज है या कृषि कर रहा है वह अतिक्रमी माना जाएगा। अतिक्रमी काश्तकार के पक्ष में किए गए किसी आदेश को चैलेंज नहीं कर सकता "* इन समस्त तथ्यों एवं न्यायिक नजीरों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही कर न्याय की मंशा अनुकुल ही निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह साबित कर पाने में विफल रहे है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई विधिक, प्रक्रियात्मक या न्यायिक त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 133/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर